बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–कि0आ0–03/2017– 1819 खाद्य, पटना/दिनांक– 12.04.18

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

विषय :– किरासन तेल ठेला भेंडरों के द्वारा किरासन तेल वितरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– आपके पत्रांक–1548 दिनांक– 11.12.2017, 179 दिनांक–27.01.2018, 308 दिनांक–19.02.2018 एवं 511 दिनांक 19.03.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–1155 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश, 1984 (यथा संशोधित) की कंडिका–27 की उप कंडिका (ग) में प्रयुक्त शब्दों "एवं विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन" के संदर्भ में अनुसूची–1 के भाग ड0 (अन्य वस्तुएँ) का क्रमांक–2 में उल्लिखित "किरोसिन तेल" के तहत अनुज्ञापन पदाधिकारी के रूप में कार्य करना एतद्द्वारा विलोपित किया गया है। उक्त अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट किसी भी व्यापारिक वस्तु की खुदरा विक्रेताओं के संबंध में अपने अधिक्षेत्र की सीमाओं के भीतर अनुज्ञापन पदाधिकारी होंगे। जहाँ तक अनुभाजन क्षेत्र में कार्यरत किरासन तेल ठेला भेंडरों को पंचायतों की संख्या के अनुरूप विभिन्न अनुमंडल क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के संबंध में मांगे गये मार्गदर्शन के आलोक में कहना है कि बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश, 1984 (यथा संशोधित) की कंडिका–27 के भाग–4 प्रकीर्ण के कंडिका–25 में व्यापारियों को निदेश जारी करने की शक्ति के अन्तर्गत राज्य सरकार या कलक्टर या अनुज्ञापन प्राधिकारी समस्त या कोई भी व्यापारिक वस्तुओं के क्रय–विक्रय, व्यय, भंडारण की कीमत और स्टॉक की सूची के प्रदर्शन के सम्बन्ध में किसी व्यापारी को निदेश जारी कर सकेगा।

अतः उपर्युक्त वर्णित कंडिकाओं के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक 1004 दिनांक 22.03.2006 में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के झुग्गी-झोपड़ी, छात्रावास, रैन–बसैरा, दलित कॉलोनी इत्यादि में किरासन तेल का वितरण करने हेतु किरासन तेल का आवंटन उपलब्ध कराया जाय एवं ठेला भेंडरों के द्वारा किरासन तेल का वितरण निगरानी समिति एवं संबंधित पदाधिकारियों की देख–रेख में कराया जाय तथा भंडार पंजी, बिक्री पंजी तथा कैशमेमो का संधारण कराया जाय। साथ ही समय–समय पर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराते हुए अनुमंडल पदाधिकारियों से इसका सत्यापन कराया जाय।

शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा बिजली की अधिक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिलान्तर्गत क्षेत्रों में किरासन तेल की आवश्यकतानुसार प्राथमिकता तय करते हुए ठेला भेंडरों को टैग किया जाय एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या–1155 दिनांक–07.03.2018 के आलोक में कार्रवाई करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
Dubey
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कि0आ0–03/2017– 1829 खाद्य, पटना/दिनांक– 12.04.18

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Dubey
सरकार के अपर सचिव।